UPMB010011642026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,सी०ए०डब्लू०,महोबा
उपस्थित–अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP 2700
दाण्डिक निगरानी संख्या–30/2026

हंस कुमार उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री कालीचरन निवासी घाटमपुर जिला कानपुर नगर (उ०प्र०)। .....निगरानीकर्ता

बनाम

खनिज अधिकारी। .....विपक्षी

अन्तर्गत धारा–438 बी०एन०एस०एस०
थाना कबरई, जिला महोबा

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता हंस कुमार द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा के प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–130/2026 खान अधिकारी महोबा बनाम हंस कुमार धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम थाना कबरई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,महोबा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, आक्षिप्त आदेश से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा निगरानीकर्ता/वाहन स्वामी के वाहन संख्या यू०पी० 78 डीएन–5770, के अवमुक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है।

2. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 गलत व खारिज होने योग्य है। दिनांक 26.02.2026 को खनिज अधिकारी महोबा द्वारा उक्त वाहन ट्रक सं०–यूपी–78 डीएन–5770 को खडा किया गया। जिस पर आख्या अवर न्यायालय द्वारा मांगी गयी जिस पर कोई सीजर प्रस्तुत नहीं किया गया। उसका उक्त वाहन दिनांक 24.02.2024 से खड़ा हुआ है जबकि खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उक्त वाहन को खड़े होने का दिनांक 26.02.2026 दर्शाया गया है। उसका उक्त वाहन 45 दिन के ऊपर से थाना कबरई में खुले परिसर में खडा है जिसके कलपुर्जा खराब होने व रंग रोगन खराब होने की सम्भावना है। जिसके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2002 में अंकित किया गया है कि किसी भी वाहन को लम्बे समय तक खडा नही किया जा सकता है। खनिज अधिकारी द्वारा कोई सीजर रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गयी एवं थाना कबरई में सुपरतनामा में खड़ा कर दिया गया है जोकि एक अवैध रोकना है। खनिज परिहार नियमावली की धारा–3 में यह अंकित

किया गया है कि यदि वाहन को सीज किया जाता है तो उसका नोटिस सम्बन्धित मालिक को दिया जायेगा। यदि तीन दिवस के अंदर जुर्माना जमा करने को तैयार नही है तो धारा–22 खनिज अधिनियम में परिवाद प्रस्तुत किया जायेगा किन्तु खनिज अधिकारी द्वारा उसको कोई नोटिस नही दिया गया और न ही 45 दिन व्यतीत हो जाने के बाद कोई परिवाद प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न विधि व्यवस्थायें मौजूद है। सुपरतनामा कस्टडी का एक भाग है जिसके सम्बन्ध में सी०आर०पी०सी० की धारा–102(3) व 157 का उल्लंघन किया गया है एवं अभी तक कोई एफ०आई०आर० व परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया जबकि अवर न्यायालय द्वारा रिपोर्ट आने के बाद उसके हक में उसका वाहन अवमुक्त किया जाना आवश्यक था। ऐसा न करके उसका प्रार्थना पत्र निरस्त कर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग न करते हुये मनमाने तरीके से किया गया है। उसका वाहन खुले में खड़े होने के कारण उसके हक में अवमुक्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था नईम अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० –2024 ए०एच०सी० के पैरा न०–10 व इलाहाबाद हाईकोर्ट की विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ यूपी एण्ड टू अदर्स बनाम अंजनी कुमार दुबे क्रिमिनल रिवीजन न 0–3570/2025 के पैरा–6 व राकेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी द्वारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एण्ड अदर्स एप्लीकेशन अन्तर्गत धारा–482 न 0–7071/2022 के पैरा न 0–15 में स्पष्ट किया गया है कि उसका वाहन उसके हक में रिलीज किया जाना न्यायोचित है। अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा के आदेश दिनांक 09.04.2026 को निरस्त किया जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा विरोध करते हुये यह कहा गया है कि सम्बन्धित वाहन द्वारा अनाधिकृत रूप से खनन करने के कारण ज्येष्ठ खान अधिकारी महोबा द्वारा सीज किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उचित रूप से रिलीज आवेदन पत्र खारिज किया गया है। अतः विद्वान अवर न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुये निगरानी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. न्यायालय ने उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का सम्यक् परिशीलन किया तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर करने पर यह पाया कि निगरानीकर्ता का ट्रक यू०पी० 78 डी०एन० 5770 को दिनांक 26.02.2026 को खान अधिकारी द्वारा सीज किया गया था जोकि थाना परिसर कबरई में खड़ा है। उक्त वाहन को रिलीज करने के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा खान निरीक्षक महोबा से मांगी गयी। आख्या में खान निरीक्षक द्वारा कोई स्पष्ट आख्या विचारण न्यायालय में प्रेषित नहीं की है। मात्र

यह अंकित है कि उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 72(6) के अनुसार किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता पाया जाने पर कमाण्ड सेन्टर द्वारा ऑन लाइन की नोटिस निर्गत किये जाते हैं तथा नियमानुसार शास्ति की धनराशि ऑन लाइन जमा करायी जाती है तथा पकड़े गये सभी परिवहनों को खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 की धारा 22 के अनुसार परिवाद दाखिल किया जाता है। प्रस्तुत मामले में वाहन जब्तीकरण की दिनांक 26.02.2026 से खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन की ओर से कोई भी परिवाद अन्तर्गत धारा 22 में दाखिल नहीं किया गया है। राज्य की ओर से कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं करायी गयी है। उक्त आख्या में यह भी स्पष्ट नहीं है कि आज तक सम्बन्धित ट्रक के बावत कोई ऑन लाइन नोटिस निर्गत की गयी अथवा नहीं जिससे दर्शित है कि उक्त ट्रक के बावत कोई भी प्राथमिकी/परिवाद दर्ज नहीं होने के बावजूद ट्रक को सम्बन्धित थाने में अविधिक रूप से निरूद्ध किया गया है। सम्बन्धित ट्रक खुले में खड़े होने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। अतः उपरोक्त वाहन को निगरानीकर्ता/प्रार्थी के हक में **सुपुर्द** किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हाल ही में दिये गये आदेश **नईम अहमद बनाम उ०प्र० राज्य दिनांक 27.11.2024 दाण्डिक निगरानी संख्या 3586/2024** में पारित किये गये आदेश के आलोक में विचारण न्यायालय को प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार किये जाने हेतु आदेशित किया जाना विधिसम्मत होगा। अतः विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है और अपास्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। तद्नुसार विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 अपास्त किया जाता है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह इस आदेश में किये गये सम्प्रेक्षण के प्रकाश में निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार करते हुये विधि अनुसार निस्तारण करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस भेजी जाये।

दिनांकः 06.08.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०, महोबा।
UP–2700

निर्णय, आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 06.08.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०, महोबा।
UP–2700

टाइपकर्ता
उमेश चन्द्र गुप्ता,
कार्यकारी सहायक

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.08.06 17:28:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court